राजकीय बहुतकनीकी, संस्थान रोहड़ू जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

2379
31/8/2010

अवधि 04/2005 से 03/2010 तक

लेखा परीक्षणाधीन अवधि के दौरान निम्न लिखित प्रधानाचार्य तैनात थे:–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1.	श्री ए0के0 आहुजा	01.04.2005 से 01.03.2007 तक
2.	श्री एस0एन0 सिंह	08.03.2007 से 09.07.2007 तक
3.	श्री एस0के0 गौत्तम	10.07.2007 से 15.02.2008 तक
4.	श्री एस0सी0 वर्मा	19.03.2008 से 14.03.2010 तक
5.	श्री एस0एन0 सिंह	15.03.2010 से 30.03.2010 तक

भाग– एक

1. **गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:–**

संस्था के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में अनिर्णीत पैरों से सम्बन्धित अनुपालना के सत्यापन उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार है। अनिर्णीत पैरों के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्रवाही करके निपटारा करवाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को सूचित करें:–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/85 से 03/88

1.	पैरा– 9	अनिर्णीत
2.	पैरा– 15(बी)	अनिर्णीत
3.	पैरा– 15(सी)	समाप्त (अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
4.	पैरा– 16	समाप्त (आवश्यक सटिप्पण उत्तर के आधार पर)

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/88 से 03/2005

1.	पैरा– 3	समाप्त (अंकेक्षण शुल्क की राशि ड्राफ्ट संख्या 311935 दिनांक 05.09.2005 द्वारा जमा की गई)
2.	पैरा– 4	समाप्त (नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
3.	पैरा– 5(क)	समाप्त (आवश्यक अभिलेख के रख–रखाव उपरान्त)
4.	पैरा– 5(ख)	समाप्त (आवश्यक अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
5.	पैरा– 6(क)	समाप्त (आवश्यक अभिलेख के रख–रखाव उपरान्त)

6.	पैरा– 6(ख)	समाप्त (नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
7.	पैरा– 7	समाप्त (मु0 3398/– रूपये दण्ड ब्याज की राशि विभिन्न रसीदों से प्राप्त की गई)
8.	पैरा– 8	समाप्त (सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
9.	पैरा– 9(क)	समाप्त (अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
10.	पैरा– 9(ख)	समाप्त (अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
11.	पैरा– 10	समाप्त (मु0 177/– रूपये की रसीद की पुष्टि उपरान्त)
12.	पैरा– 11	समाप्त (मु0 47/– रूपये की रसीद संख्या 015680 दिनांक 17.01.2009 द्वारा जमा)
13.	पैरा– 12	समाप्त (सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
14.	पैरा– 13	अनिर्णीत
15.	पैरा– 14	अनिर्णीत
16.	पैरा– 15	अनिर्णीत
17.	पैरा– 16	समाप्त (आवश्यक कार्योत्तर स्वीकृति उपरान्त)
18.	पैरा– 17	समाप्त (आवश्यक अनांधि प्रमाण पत्र उपरान्त)
19.	पैरा– 18	समाप्त (गृह परीक्षा हेतु स्टेशनरी कय की गई)
20.	पैरा– 19	समाप्त (आवश्यक अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
21.	पैरा– 20	समाप्त (सहकारी बैंक में राशि जमा करने उपरान्त)
22.	पैरा– 21	समाप्त (मु0 1267/– रूपये की वसूली रसीद संख्या 16375 दिनांक 21.01.2009 द्वारा की गई)
23.	पैरा– 22	अनिर्णीत
24.	पैरा– 23	अनिर्णीत
25.	पैरा– 24	अनिर्णीत
26.	पैरा– 25(क)	समाप्त (अधिक राशि प्राप्त की गई राशि वापिस कर दी गई थी)
27.	पैरा– 25(ख)	समाप्त (मु0 330/– रूपये की राशि सहकारी कोष में विभिन्न रसीदों से जमा की पुष्टि उपरान्त)

28. पैरा– 26

समाप्त
(तिजौरी में हस्तगत राशि प्रवेश के रूप में की थी)

29. पैरा– 27

समाप्त
(सावधि जमा में राशि निवेश)

30. पैरा– 28

अनिर्णीत

31. पैरा– 29

समाप्त
(वस्तुओं की गणना एवं प्रत्यक्ष सत्यापन उपरान्त)

32. पैरा– 30

समाप्त
(जिप्सी का उपयोग वार्षिक वितरण समारोह तथा अन्य छात्र इत्यादि सेवाऐं हेतु किया गया)

33. पैरा– 31

समाप्त
(अन उपयोगी एवं स्टोर की वस्तुओं की नीलामी की रसीद संख्या 009953 दिनांक 15.03.2004 013873 दिनांक 07.02.01, 013871 दिनांक 07.02.07, 011669 दिनांक 02.02.09, 010852 दिनांक 21.08.03, 01092 दिनांक 12.09.03)

34. पैरा– 32

समाप्त
(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट के द्वारा मु0 9282/– रूपये की गई)

भाग– दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः–

राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय रोहडू जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखों अवधि 01.04.2005 से 31.03.2010 तक का वर्तमान अंकेक्षण श्री एस0एस0 कायथ, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.10 से 12.04.10 तक रोहडू में किया गया। लेखों की विस्तृत पड़ताल हेतु मास 05/2005, 07/2005, 04/2006, 01/2007, 04/2007, 01/2008, 07/2008, 10/2008, 12/2009 व 01/2010 का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। अनुवर्ती पैरों मे दिए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किए गए है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग महाविद्यालय द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायित्व नही होगा।

3. लेखा परीक्षा शुल्कः–

राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय रोहडू जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के छात्र कल्याण निधि लेखों अवधि 01.04.2005 से 31.03.2010 के अंकेक्षण हेतु मु0 4800/– रूपये की राशि अंकेक्षण शुल्क की बनती है। उपरोक्त राशि को अनुभाग अधिकारी की अधियाचना संख्या 904 दिनांक 12.04.2010 द्वारा प्रधानाचार्य से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला– 9 को शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया। अंकेक्षण शुल्क की उपरोक्त राशि मु0 4800/– रूपये को

प्रधानाचार्य द्वारा ड्राफ्ट संख्या 2111835 दिनांक 20.04.2010 द्वारा भेज दिया गया था जिसका सत्यापन अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

4. वित्तीय स्थिति:—

राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय रोहड़ू के छात्र कल्याण निधि की अवधि 01.04.2005 से 31.03.2010 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी, जिसका ब्यौरा परिशिष्ट "क" पर भी दिया गया है:—

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में आय	वर्ष में ब्याज	कुलआय	वर्ष में व्यय	अन्तिम शेष
2005—06	6393866.23	2945250.00	88843.05	9427959.28	1444086.00	7983873.28
2006—07	7983873.28	3415728.00	140375.31	11539976.59	1269074.00	10270902.59
2007—08	10270902.59	3467962.00	215264.00	13954128.59	1154856.00	12799272.59
2008—09	12799272.59	3940926.00	196370.00	16936568.59	1376837.00	15559731.59
2009—10	15559731.59	3896266.00	82827.00	19538824.59	1475778.00	18063046.59

दिनांक 31.03.2010 को अन्तिम शेष का विवरण:—

(i)	सावधि जमा में निवेशित राशि	1,60,24,013.00
(ii)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित के बचत खाता संख्या 23410 में जमा राशि	20,20,217.00
(iii)	भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाता संख्या 11296051477 में जमा राशि	18399.69
(iv)	हस्तगत राशि	416.90
		1,80,63,046.59

5. सावधि जमा:—

सावधि जमा योजना के अन्तर्गत छात्र कल्याण निधि में से दिनांक 31.03.2010 तक मु0 1,60,24,013/— रूपये की राशि निवेश की गई थी जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ख" में संलग्न है। उपरोक्त राशि को परिपक्वता की तिथियों को भुनाना अथवा पुनः निवेशित करना सुनिश्चित करें।

6. अग्रिम:—

अंकेक्षण के दौरान अग्रिम रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2010 तक निम्नलिखित कर्मचारियों/ अध्यापकों को छात्र कल्याण निधियों में से विभिन्न खेल—कूद प्रतियोगिताओं के आयोजन व अन्य उद्देश्य हेतु अग्रिम राशियाँ प्रदान की गई थी, परन्तु इन राशियों का समायोजन उन द्वारा अंकेक्षण की अवधि तक नही किया गया था। कुछ मामलों में अग्रिम प्रदान की गई राशियों की लगभग 22 वर्षों से भी अधिक समय से समायोजन नही किया गया है जो कि अनियमित ही नही अपितु आपत्तिजनक भी है। छात्र निधियों में से ली गई अग्रिम राशियों का इतने लम्बें समय तक समायोजित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और इन अग्रिम राशियों का समायोजन लेखे शीघ्र

प्राप्त करके समायोजित किया जाए। विलम्ब से समायोजन करने हेतु सम्बन्धित व्यक्तियों से मूल अग्रिम राशि दण्ड ब्याज सहित वसूल करके छात्र निधि में जमा किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए:-

क्र0 सं0	अग्रिम राशि दी जाने की तिथि	अग्रिम राशि भुगतान की गई (रू0)	जिसे अग्रिम भुगतान किया गया	अग्रिम का उद्देश्य
1.	24.03.88	300.00	वाई0आर0 शर्मा, डी0पी0ई0	खेल–कूद प्रतियोगिता
2.	07.05.88	1500.00	वाई0आर0 शर्मा, डी0पी0ई0	खेल–कूद प्रतियोगिता
3.	25.05.88	200.00	पी0सी0 शर्मा, प्रवक्ता	वार्षिक पारितोषिक
4.	26.05.88	200.00	कर्मचन्द, लिपिक	वार्षिक पारितोषिक
5.	17.10.88	3000.00	वाई0आर0 शर्मा, डी0पी0ई0	इन्टर स्पोर्टस
6.	01.11.88	175.00	देविन्दर, अनुदेशक	डेवलामेशन
7.	05.12.88	100.00	बेली राम, लिपिक	गृह परीक्षा
8.	05.10.99	3000.00	वाई0आर0 शर्मा, डी0पी0ई0	खेल–कूद प्रतियोगिता
9.	14.05.2001	1000.00	नवीन धीमान, प्रवक्ता	सामान क्रय
10.	20.05.2005	1000.00	रमेश जाकटा, प्रवक्ता	
11.	06.02.2006	4800.00	अमर सिंह, अनुदेशक	कायल स्लीपर क्रय
12.	18.10.2008	1500.00	पदम देव, लिपिक	एस0सी0वी0टी0 परीक्षा
13.	01.01.2009	19000.00	आर0के0 बन्सल, विभागाध्यक्ष	शिक्षा भ्रमण
14.	28.03.2009	8000.00	भगत राम परिचालक	शिक्षा भ्रमण
15.	28.03.2009	2500.00	महेश चन्द, प्रवक्ता	एड्स दिवस
16.	02.04.2009	8000.00	भगतराम, परिचालक	शिक्षा भ्रमण
17.	02.04.2009	1000.00	भगतराम, परिचालक	जुब्बल से लकड़ी
18.	05.06.2009	2000.00	संधीरा, कनिष्ट सहायक	परीक्षा हेतु
19.	25.06.2009	33216.00	राम गुरू, वरिष्ठ सहायक	बिजली बिल
20.	18.08.2009	1566.00	राम गुरू, वरिष्ठ सहायक	पानी के बिल
21.	14.09.2009	1000.00	महेश चन्द्र, प्रवक्ता	परीक्षा फार्म
22.	15.09.2009	1500.00	जगदीप सिंह	इन्जीनियर दिवस
23.	02.02.2010	500.00	भगत राम परिचालक	बस पालिश
24.	23.02.2010	24000.00	भगत राम परिचालक	शिक्षा भ्रमण
25.	23.02.2010	3000.00	सुरेन्द्र कुमार	ड्राईव फीस
26.	24.02.2010	15000.00	आर0के0 बन्सल, विभागाध्यक्ष	ट्रेनिंग
27.	04.03.2010	20000.00	सतीश चौहान, पी0ई0टी0	स्पोर्टस मीट
28.	04.03.2010	12000.00	भगतराम, परिचालक	स्पोर्टस मीट

29.	26.03.2010	2500.00	महेश चौहान	एड्स प्रोग्राम
		1,71,557.00		

7. अंकेक्षण के दौरान अग्रिम राशियों के समायोजन लेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि समायोजन लेखें अत्यन्त विलम्ब से कई महीनों उपरान्त प्रस्तुत किए जा रहे थे, यहाँ तक की अग्रिम राशियों से बकाया बची राशि को भी काफी समय के उपरान्त छात्र निधि खातों में जमा किया जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप छात्र निधियों का अस्थायी दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है जिसके कुछ उदाहरण निम्न दिए जाते है। नियमानुसार कार्य पूर्ण हो जाने पर अग्रिमों के समायोजन लेखें प्रस्तुत किए जाने वान्छित है। देरी से समायोजन लेखें प्रस्तुत करने बारें स्थिति स्पष्ट की जाए तथा देरी से शेष बची बकाया राशि जमा करने के कारण हुई ब्याज की हांनि की भरपाई सम्बन्धित कर्मचारी से दण्ड़ ब्याज सहित वसूल करके छात्र निधियों में जमा किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत कराया जाए। भविष्य में अग्रिम राशियों में से शेष बची राशि को निधि में शीघ्र जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए:–

क्र0 सं0	अग्रिम की तिथि	अग्रिम राशि (रू0)	समायोजित राशि (रू0)	बकाया राशि जमा की गई (रू0)	जमा करने की तिथि	जितने समय उपरान्त जमा की गई	अग्रिम प्राप्त कर्त्ता
1.	04.10.2004	3200.00	500.00	2700.00	02.03.2005	5 मास	लाल सिंह
2.	30.04.2005	9000.00	5572.00	3428.00	04.10.2008	41 मास	सुरेन्द्र कुमार
3.	28.06.2005	10000.00	7486.00	2514.00	20.01.2006	6 मास	पदम चन्द
4.	30.07.2005	18000.00	13400.00	4600.00	28.08.2005	1 मास	ए0आर0 ठाकुर
5.	22.10.2005	20000.00	15916.00	4084.00	23.01.2006	3 मास	सतीश चौहान
6.	02.02.2006	10000.00	–	10000.00	18.03.2006	1.5 मास	डी0के0 बिन्दा
7.	02.02.2006	5000.00	–	5000.00	19.04.2006	2.5 मास	धीरज कौशिक
8.	24.03.2006	15000.00	9986.00	5014.00	25.07.2006	4 मास	सतीश चौहान
9.	31.03.2006	5000.00	1260.00	3740.00	10.08.2006	5 मास	सतीश शर्मा
10.	22.09.2006	2000.00	–	2000.00	19.02.2007	5 मास	जगदीप ठाकुर
11.	23.11.2007	12000.00	8545.00	3455.00	22.01.2008	2 मास	दौलत राम
12.	24.04.2008	17000.00	11518.00	5482.00	21.06.2008	2 मास	भगत राम
13.	25.10.2008	25000.00	23315.00	1685.00	20.12.2008	2 मास	सतीश चौहान
14.	24.09.2008	2500.00	1765.00	735.00	20.12.2008	3 मास	महेश चौहान
15.	24.09.2003	7000.00	5572.00	1428.00	23.12.2008	63 मास	सुरेन्द्र कुमार
16.	11.04.2008	2000.00	700.00	1300.00	10.06.2008	2 मास	राज कुमार
17.	28.04.2008	14000.00	10495.00	3505.00	03.06.2008	1 मास	सतीश कुमार
18.	09.09.2008	9300.00	–	9300.00	12.02.2009	5 मास	सुरेन्द्र कुमार

पैरा सं० - 8 : अंकेक्षण आपत्ति के संदर्भ में प्रस्तुत है कि ठेकेदार श्री सतपाल द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है कि जो सिविल वर्क रु० 2,84,500 का उनके द्वारा निष्पादित किया गया, उसके संबंध में सभी प्रकार के Taxes उनके द्वारा आयकर विभाग व अन्य विभागों को जमा किये जा चुके हैं। जिसमें Polytechnic College Rohru की अब कोई भी जिम्मेवारी नहीं बनती है। ठेकेदार द्वारा दिए गए undertaking की प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। उपरोक्त पत्र से स्पष्ट है कि यदि कोई मामला उठता है तो उक्त ठेकेदार स्वयं इसका उत्तरदायी होगा। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत पैरे को समाप्त करने की कृपा करें।

Principal
Govt. Polytechnic
Rohru Distt. Shimla H.P.

पैरा सं० - 10 : अंकेक्षण आपत्ति को नोट कर लिया गया है। जिसमें सुधारात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। वर्तमान में कोई भी राशि हस्तगत नहीं रखी जा रही है तथा भविष्य में भी अंकेक्षण के सुझाव की अनुपालना की जाएगी। अतः पैरे को समाप्त करने की कृपा करें।

Principal
Govt. Polytechnic
Rohru Distt. Shimla H.P.

8. **संविदाकारों के निर्माण कार्य बिलों से आय कर व बिकी कर की मु0 12148/– रूपये की कटौती न करना:–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित भुगतान वाऊचरों द्वारा संविदाकारों को निर्माण कार्य निष्पादन करने हेतु भुगतान किया गया था परन्तु निर्धारित नियमों के अनुसार आय कर व बिकी कर की कटौती नही की गई थी जो कि अनियमित ही नही अपितु सम्बन्धित नियमों की अवहेलना है। अतः संविदाकारों से आयकर व बिकी कर की कटौती करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए:–

वा0 सं0	दिनांक	भुगतान की गई राशि (रू0)	निर्माण कार्य का नाम	आय कर की कटौती की जानी थी	बिकी कर की कटौती की जानी थी	संविदाकार का नाम
65	11.12.2009	80,000.00	बैडमिन्टन कोर्ट	1840.00	1600.00	श्री सत्या पाल
67	18.12.2009	202500.00	बास्केट वॉल कोर्ट	4658.00	4050.00	श्री सत्या पाल
				6498.00	5650.00	

9. **बैंक ड्राफ्टों से प्राप्त राशि को देरी से बैंक में जमा करना:–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित बैंक ड्राफ्टों से प्राप्त आय को काफी समय उपरान्त बैंक में जमा किया गया था। देरी से जमा करने के कारण संस्थान को प्राप्त होने वाले ब्याज की हांनि उठानी पड़ी थी जो कि अनियमित है। बैंक ड्राफ्टों से प्राप्त आय को समय पर बैंक में जमा न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त आय को शीघ्र बैंक खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए:–

ड्राफ्ट संख्या	दिनांक	राशि रू0	बैंक में जमा करने की तिथि	जहाँ से ड्राफ्ट आया
411380	10.07.2006	95000.00	14.08.2006	सुन्दर नगर
411405	12.07.2006	118450.00	14.08.2006	सुन्दर नगर
411430	14.07.2006	325000.00	14.08.2006	सुन्दर नगर
0224564	15.03.2007	17050.00	16.04.2007	मण्डी
154546	17.12.2007	12745.00	16.01.2008	धर्मशाला
864978	16.01.2008	16000.00	12.02.2008	धर्मशाला

10. **हस्तगत राशि अधिक रखने के कारण ब्याज की हांनि:–**

छात्र कल्याण निधि के नियम 4(ख) के अनुसार छात्र निधि के बकाया बचे हुए धन को दीर्घकालीन प्रतिभूतियों/ जमा योजनाओं में जमा किया जाएगा। प्रतिदिन के व्यय के लिए तिजौरी में कम से कम धन रखना होगा "परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान ने उपरोक्त नियम की अवहेलना करके अधिक राशि बैंक में जमा न करके हस्तगत तिजौरी में रखी थी जिसके कुछ उदाहरण निम्न वर्णित है। तिजौरी में अधिक

पैरा सं० -11 : अंकेक्षण आपत्ति के संदर्भ में नोट कर लिया गया है वर्तमान में संस्था द्वारा आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक राशि को एफ.डी.आर. में निवेश किया जा रहा है। बचत खाते में उतनी ही राशि रखी जा रही है जितनी आवश्यकता है। भविष्य में भी अंकेक्षण की सुझावनुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः पैरे को समाप्त करने की कृपा करें।

Principal
Govt. Polytechnic
Rohru Distt. Shimla H.P.

राशि काफी समय तक हस्तगत रखने के कारण संस्थान को ब्याज की हानि उठानी पड़ी है जो कि आपत्तिजनक है। उपरोक्त नियम की अवहेलना करके ब्याज की हुई हानि का औचित्य स्पष्ट किया जाए और भविष्य में नियमानुसार हस्तगत राशि रखी जानी सुनिश्चित करें:–

दिनांक	हस्तगत राशि (रू0)
30.04.2005	22192.90
31.05.2005	22179.90
23.06.2005	20800.90
29.08.2005	14953.90
29.09.2005	30173.90
29.10.2005	13452.90
30.12.2005	7650.90
31.03.2006	31553.90
30.09.2006	11259.90
30.12.2006	8460.90
30.06.2007	29590.90
31.07.2007	24515.90
31.12.2007	8757.90
30.06.2008	16120.90

11. **बचत खाते में अधिक राशि जाना रखने के कारण ब्याज की हानि:–**

छात्र कल्याण निधि के नियम 4(ख) के अनुसार छात्र निधि के बकाया बचे हुए धन को दीर्घकालीन प्रतिभूतियों/ जमा योजनाओं में जमा किया जाएगा। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान ने प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त निधियों को बचत खातों व सावधि जमा में निवेश किया था परन्तु बचत खातों में अभी तक लाखों रूपये की राशि अंकेक्षण की अवधि तक जमा थी जिसके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार है। आवश्यकता से अधिक राशि बचत खातों में जमा रखने के कारण ब्याज की हानि उठानी पड़ी हैं क्योंकि बचत खातों में जमा राशियों पर केवल 3.5 प्रतिशत दर से ब्याज मिलता है, जबकि सावधि योजनाओं में निवेश करने पर कम से कम 8 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज मिलता है। सावधि जमा योजनाओं में जमा राशि निवेश न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। भविष्य में जमा राशि के कम से कम 75 प्रतिशत भाग को नियमानुसार निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए:–

दिनांक	बचत खाते में जमा राशि (रू0)
30.04.2005	22,99338.33

30.06.2005	21,54974.33
30.08.2005	32,58,628.12
31.01.2006	29,65,568.12
31.03.2006	37,44,174.38
30.06.2006	35,36,526.38
30.09.2006	48,14,797.15
31.12.2006	46,15,527.15
31.03.2007	58,07,726.69
30.06.2007	56,78,567.69
30.09.2007	70.83,532.69
31.12.2007	70,78,554.69
31.03.2008	80,24,729.69
30.06.2008	38,77,636.69
30.09.2008	53,32,312.69
31.12.2008	12,11,402.69
30.06.2009	13,25,928.69
30.09.2009	15,25,201.69
31.12.2009	10,96,425.69
31.03.2010	20,38,616.69

12. **फर्मो/ दुकानदारों के बिलों का भुगतान बैंक चैकों से न करके कैश (रोकड़) से करनाः—**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न फर्मो/ दुकानदारों को सामान क्रय करने के एवज में बैंक से राशि निकालकर बिलों का भुगतान कैश से किया जाता है, जिसके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार है। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम खण्ड– I के नियम 2.12 के प्रावधानों अनुसार फर्मो को राशियों का भुगतान बैंक चैक के माध्यम से किया जाना आपेक्षित था, परन्तु बहुतकनीकी महाविद्यालय ने कैश से भुगतान करके वित्तीय नियमों की अवहेलना की है जो कि अनियमित है। दुकानदारों/ फर्मो को कैश से भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और भविष्य में दुकानदारों/ फर्मो को बिलों का भुगतान बैंक चैक के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाएः—

वा0 सं0	दिनांक	भुगतान की गई राशि (रू0)	ज़िसे भुगतान की गई
9	05.05.2005	1030.00	मै0 अरूण ट्रेडर्ज, रोहडू
31(1)	08.07.2005	1431.00	राज कुमाार बुक सेन्टर, रोहडू
31(2)	08.07.2005	1225.00	अरूण ट्रेडर्ज, रोहडू

पैरा सं. 13 अंकेक्षण के सुझावनुसार संस्थान स्तर पर छानबीन की गई तथा पाया गया कि 158 Momentoes जिन-जिन छात्रों को वितरित किए गए है, उनकी सूची तैयार कर ली गई है। इन छात्रों से उस समय हस्ताक्षर चूकवश नहीं करवा पाए है जिसके बारे में अंकेक्षण आपत्ति के उपरान्त पता चला। यह भी स्पष्ट है कि सभी छात्र वर्तमान में संस्थान को छोड़कर चले गए है जिनसे हस्ताक्षर लेना असंभव है। भविष्य में अंकेक्षण के सुझावानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त उस समय के 158 छात्र, छात्राएं जिनको Momentoes बांटे गए थे उनके नामों की पहचान करके सूची तैयार कर ली गई है, जोकि अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत पैरे को समाप्त करने की कृपा करें।

Principal
Govt. Polytechnic
Rohru Distt. Shimla H.P.

पैरा सं. 14: अंकेक्षण आपत्ति की अनुपालना में वर्तमान SWP Committee के द्वारा प्रस्ताव पारित करके व्यय करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है जिसकी Proceedings अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। भविष्य में भी अंकेक्षण के सुझावनुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त ही व्यय करना सुनिश्चित किया जाएगा। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत पैरे को समाप्त करने की कृपा करें।

Principal
Govt. Polytechnic
Rohru Distt. Shimla H.P.

1(1)	01.04.2006	1048.00	उत्तम जनरल स्टोर, रोहड़ू
2(2)	01.04.2006	1955.00	अरूण ट्रेडर्ज, रोहड़ू
3	21.04.2006	44724.00	सहायक अभियन्ता हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद
5	18.04.2007	1767.00	राज कुमार बुक सेन्टर, रोहड़ू
6(1)	20.04.2007	47048.00	सहायक अभियन्ता हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद
6(2)	20.04.2007	850.00	अरूण ट्रेडर्ज, रोहड़ू
68	01.01.2008	784.00	सहायक अभियन्ता आई0पी0एच0 रोहड़ू
32	03.07.2008	4710.00	शर्मा इलैक्ट्रीकल रोहड़ू
58(1)	25.10.2008	1315.00	अरूण ट्रेडर्ज, रोहड़ू
59(2)	25.10.2008	4339.00	सहायक अभियन्ता हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद
59(3)	01.12.2009	1830.00	युनाईटेड ट्रेडर्ज रोहड़ू
66	17.12.2009	9820.00	सहायक अभियन्ता हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद

13. वाऊचर संख्या 15 दिनांक 03.06.2008 राशि मु0 13031/– रूपये:–

मु0 13031/– रूपये की राशि का भुगतान मैं0 प्राईम स्पोर्टस शिमला को 158 मोमेंटोज कय करने हेतु किया गया।

उपरोक्त वाऊचर की पड़ताल करने पर पाया गया कि कय किए गए 158 मोमेन्टोज के वितरण से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि ईनाम वितरण समारोह किस दिनांक को था, किस–किस प्रशिक्षणार्थी को इनाम बांटें गए तथा कितने ईनाम बांटें गए तथा जिन प्रशिक्षणार्थियों को ईनाम बांटे गए उनकी रसीदें इत्यादि मौजूद नही थे जिसके अभाव में बांटें गए ईनामों की पुष्टि नही हो सकी। अतः 158 मोमेन्टोज के वितरण से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. छात्र कल्याण निधि समिति की सहमति का प्रस्ताव पास न करवाकर, छात्र कल्याण से मु0 5,06,700/– रूपये की राशि का अनियमित भुगतान:–

निम्नलिखित मामलों में निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हिमाचल प्रदेश द्वारा छात्र कल्याण निधि के नियम 5(थ) के अर्न्तगत व्यय अनुमति इस शर्त पर प्रदान की गई थी कि व्यय करने से पूर्व संस्थान में गठित छात्र कल्याण निधि समिति की सहमति का प्रस्ताव पास करवाकर रिकॉर्ड में सुरक्षित रखा जाए, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित राशियों का व्यय छात्र कल्याण निधि के नियम 5(थ) के अर्न्तगत निदेशक

की व्यय अनुमति के आधार पर तो किया गया था परन्तु व्यय करने से पूर्व संस्थान में गठित छात्र कल्याण निधि समिति की सहमति का प्रस्ताव पास नही करवाया गया था जो कि अनियमित ही नही अपितु छात्र कल्याण निधि नियमों का सीधा उल्लंघन है। छात्र कल्याण निधि समिति की सहमति प्रस्ताव के बिना भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उपरोक्त समिति की कार्योत्तर स्वीकृति से किए गए व्यय का नियमितिकरण किया जाए अन्यथा छात्र कल्याण निधि से अनियमित रूप से किए गए व्यय की वसूली उचित माध्यम से करके निधि में जमा किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए:–

स्वीकृति पत्र संख्या	दिनांक	राशि	विवरण
एस0टी0वी0 (टी0ई0) एच0एफ0(4)–4/2004–19403	12.08.2005	168000.00	डैस्क क्रय हेतु
एस0टी0वी0 (टी0ई0) एच0एफ0(4)–4/2004–25384	15.10.2005	13400.00	एम0ओ0पी0 ट्रेड का गगरेट को स्थानान्तरण
एस0टी0वी0 (टी0ई0) एच0एफ0(4)–4/2004–7494	21.01.2006	126400.00	कैमिस्ट्री लैब का निर्माण
एस0टी0वी0 (टी0ई0) एच0एफ0(4)–4/2004–1498	21.01.2006	59000.00	डी फारमेसी की लैब
एस0टी0वी0 (टी0ई0) एच0एफ0(4)–4/2004–1500	21.01.2006	103500.00	डी फारमेसी की लैब
एस0टी0वी0 (टी0ई0) एच0एफ0(4)–4/2004–1499	21.01.2006	36400.00	मशीन रूम में अतिरिक्त शैल्फ
		506700.00	

15. **मु0 7324/– रूपये की राशि के पैट्रोल का क्रय–निधि पर उचित प्रभार नही:–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित दिनांकों को राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय की जिप्सी संख्या एच0पी0 10– 0010 में पैट्रोल डलवाने हेतु छात्र कल्याण निधि में व्यय किया गया था जो कि निधि पर उचित प्रभार नही है। अतः भुगतान की गई राशि की उचित माध्यम से वसूली करके छात्र कल्याण निधि में जमा किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए:–

बिल संख्या	दिनांक	क्रय किए गए पैट्रोल की मात्रा	राशि व्यय की गई (रू0)	जिससे पट्रोल क्रय किया गया
1023	27.04.2006	18 लीटर	815.00	साहनी ऑटो मोबाईल
105	29.04.2006	22 लीटर	1003.00	कैलाश जिला फेडरेशन
5712	27.04.2006	34.89 लीटर	1600.00	सहकारी फेडरेशन

पैरा सं० 16: अंकेक्षण के सुझावानुसार SWF fund से क्रय किए गए सामान की (जो कि अनुपयोगी हो चुका था) समय-समय पर नीलामी की जा रही है। जिसमें मुख्यतः खेल-कूद व छात्रावास के बर्तन इत्यादि शामिल है। नीलामी से सम्बन्धित अभिलेख अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। भविष्य में भी अंकेक्षण के सुझावानुसार समय-समय पर क्रय किए गए ~~अनु~~ सामान की नीलामी सुनिश्चित की जाएगी। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत पैरे को समाप्त करने की कृपा करें।

Principal
Govt. Polytechnic
Rohru Distt. Shimla H.P.

पैरा सं० 17: अंकेक्षण की आपत्ति के संदर्भ में प्रस्तुत है कि छात्रों से प्राप्त समस्त फंड की राशियों को एक ही खाते में जिसका नाम SWF है में जमा किया जाता है। इस निधि में छात्रों से प्राप्त विभिन्न प्रतिभूतियां भी होती हैं, इन प्रतिभूतियों को नियमानुसार संस्थान छोड़ने के एक वर्ष की भीतर ही छात्रों द्वारा मांगने पर वापिस की जाती है तथा शेष राशि उपरोक्त SWF fund में अन्य निधियों के साथ एक ही खाते में जमा रहती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी छात्र को संस्थान छोड़ने के एक वर्ष पश्चात कोई प्रतिभूति राशि वापिस नहीं की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत पैरे को समाप्त करने की कृपा

Principal
Govt. Polytechnic
Rohru Distt. Shimla H.P.

पैरा सं० 18 क व ख: अंकेक्षण के सुझावानुसार आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही कर ली गई है तथा भविष्य में भी इसकी अनुपालना की जाएगी। अतः पैरे को समाप्त करने की कृपा की जाए।

Principal
Govt. Polytechnic
Rohru Distt. Shimla H.P.

31489	15.10.2006	10 लीटर	506.00	हिमाचल फिलिंग स्टेशन
78809	13.10.2006	29.09 लीटर	1400.00	सूद ट्रेडर्ज
015412	11.10.2006	20.471 लीटर	1000.00	एच0पी0 स्पीड वे
14056	12.10.2006	20.53 लीटर	1000.00	कुलवन्त फिलिंग स्टेशन
			7324.00	

16. **अनउपयोगी स्टोर व स्टॉक की नीलामीः—**

महाविद्यालय द्वारा छात्र निधियों में से क्रय की गई सभी वस्तुएं जो कि उपयोग योग्य नही रह गई है, की वर्ष 06/2006 से 03/2010 तक कोई भी नीलामी नही की गई थी। अतः संस्था नियमों का पालन करते हुए सभी अनुपयोगी वस्तुओं की नीलामी करवाना सुनिश्चित करें तथा इस प्रकार प्राप्त राशि को निधि में जमा करें और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17. हिमाचल प्रदेश राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय की विवरण पुस्तिका के नियम 14.9 के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों को महाविद्यालय तथा छात्रावास छोड़ने के पश्चात एक वर्ष की अवधि के अन्दर–अन्दर अपनी सभी जमानतें (महाविद्यालय व छात्रावास) वापिस लेनी होगी। इस समय के दौरान वापिस न ली जाने वाली जमानतें जब्त हो जाएगी और प्रशिक्षणार्थियों को निश्चित अवधि के बाद इन जमानतों पर कोई अधिकार नही होगा तथा इस प्रकार रही अदत्त राशि छात्र निधि शुल्क के अर्न्तगत जमा कर दी जाएगी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ऐसी अदत्त राशि दिनांक 31.03.2010 को शेष पड़ी थी और छात्र निधि में जमा नही की गई थी जो कि अनियमित ही नही अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः उपरोक्त प्रावधानों अनुसार ऐसी अदत्त पड़ी राशि की गणना करके शीघ्र छात्र कल्याण निधि के अर्न्तगत जमा किया गया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18.(क) **विविधः—**

रोकड़ बही में आय प्राप्ति व भुगतान से सम्बन्धित पूर्ण विवरण नही लिखा जाता जैसे कि चैक संख्या, राशि व जिसे भुगतान किया गया, उनके नाम नही लिखे जाते है तथा यह भी नही लिखा जाता है कि भुगतान किस उद्देश्य हेतु किया गया है। उपरोक्त अनियमितता को अब दूर किया जाए। रोकड़ (कैश बुक) में सदैव पूर्ण विवरण लिखा जाना चाहिए ताकि रोकड़ की प्रथम दृष्टि या अवलोकन पर आय प्राप्ति व भुगतान की स्वतः स्थिति स्पष्ट हो सके।

(ख) प्रशिक्षणार्थियों के छात्र निधि बैंक खातों का मिलान रोकड़ से नही किया जा रहा था जिसके अभाव में वित्तीय स्थिति बनाने में अंकेक्षण का समय खारिज हुआ जबकि वित्तीय स्थिति बनाने की उत्तरदायित्व संस्था का होता है। अतः भविष्य में प्रत्येक मास के अन्त में बैंक खातों का मिलान रोकड़ से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

लघु आपत्ति विवरणीः—

यह अलग से जारी नही किया गया थी। लघु आपतियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

निष्कर्षः—

लेखाओं के रख—रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला— 171009

27 AUG 2010

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)11(1)175/87—3947—खण्ड—2-दिनांक,शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः—

1. प्रधानाचार्य राजकीय बहुतकनीकी रोहड़ू, जिला शिमला, को इस आशय के साथ प्रषित की जाती है कि वह इस संचालिका अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर अतिशीघ्र इस विभाग को भेजें।
2. सचिव, तकनीकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश शिमला— 171002
3. निदेशक तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश सुन्दरनगर, मण्डी जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश।

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला— 171009

File: Fin(LA)(2)C(15)(14)328/2023 -Vol-1(Pt) - 1059

Govt. of Himachal Pradesh

H.P. State Audit Department

Cashier SWF

01/03/2024

From:

The Director,
H.P. State Audit Department,
Shimla-171009

536
1-3-24

To:

The Principal,
Govt. Polytechnic Rohru,
Distt. Shimla (HP)

Dated, Shimla-171009...28 FEB 2024

Subject: ***Settlement of outstanding Audit paras***

Sir/Madam,

In continuation to this office letter of even number dated 08.01.2024, the year wise list of settled paras of your institution is annexed herewith for information and record purpose. This may also be ensured please that necessary action on the unsettled audit paras may also be taken up accordingly for settlement of the same.

Yours faithfully,

28.2.2024

(Jitendar Singh)
Additional Director
H.P. State Audit Department
Shimla-09
Ph: 0177-2620046

Endst. No........................ Dated........................Shimla-09

Copy forwarded for information to:

(1) The Director, Technical Education, Himachal Pradesh, Sundernagar, Distt Mandi.

(2) Concerned file of Govt Pol Tech Rohru, Distt Shimla.

28.2.2024

(Jitendar Singh)
Additional Director
H.P. State Audit Department
Shimla-09

-1-

1

संस्था का नाम : राजकीय बहुतकनीकी संस्थान रोहड़ू, जिला शिमला अवधि 4/1988 से 3/2005

क्रमांक	पैरा संख्या	पैरे की वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
1	14	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर व स्पष्टीकरण के दृष्टिगत।
2	22	निर्णीत	दिनांक 4.12.2023 को ₹6400 की वसूली कर SWF के खाता संख्या 3462513222 (सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया) में जमा करने के उपरान्त।
3	23	निर्णीत	दिनांक 08.02.2024 को ₹2500की वसूली कर SWF के दूसरे खाता संख्या 11296051477 (स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया) में जमा करने के उपरान्त।
4	24	निर्णीत	दिनांक 01.02.2023 को ₹7226/–की वसूली कर SWF के खाता संख्या 3462513222 (स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया) में जमा करने के उपरान्त।
5	28	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर व स्पष्टीकरण के दृष्टिगत।

Assistant Director
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

2

संस्था का नाम : राजकीय बहुतकनीकी संस्थान रोहड़ू, जिला शिमला अवधि 4/2005 से 3/2010			
क्रमांक	पैरा संख्या	पैरे की वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
1	5	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर व अनुपालना के दृष्टिगत।
2	8	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर व अंडरटेकिंग प्रस्तुत करने के उपरान्त
3	10	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर व आश्वासन के दृष्टिगत।
4	11	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर व आश्वासन के दृष्टिगत।
5	12	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर व आश्वासन के दृष्टिगत।
6	14	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर व स्पष्टीकरण के दृष्टिगत।
7	15	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर व स्पष्टीकरण के दृष्टिगत।
8	16	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर व अनुपालना के दृष्टिगत।
9	17	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर व स्पष्टीकरण के दृष्टिगत।
10	18 (क)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर व आश्वासन के दृष्टिगत।
11	18 (ख)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर व आश्वासन के दृष्टिगत।

Assistant Director
H.P. State Audit Department
Shimla-171009